दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 03-08-2026

विषय सूची

उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक मादक द्रव्य जाँच

सरकारी विद्यालयों का बंद होना

भारत में अभिरक्षा में मृत्यु

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में सुधार

भारत में वैज्ञानिकों को बनाए रखने की चुनौती

संक्षिप्त समाचार

- मैथिलीशरण गुप्त जयंती
- आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय
- पिंगली वेंकैया
- शिपकी ला दर्रा
- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)
- लेप्टोस्पायरोसिस (Leptospirosis)
- अमेरिका द्वारा बांग्लादेश को पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने का निमंत्रण

उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक मादक द्रव्य जाँच

सन्दर्भ

- युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन पर नियंत्रण के लिए **स्वापक नियंत्रण ब्यूरो** (NCB) **के "स्वापक नियंत्रण दृष्टि दस्तावेज़** 2026–29" के अंतर्गत केंद्र सरकार ने हाल ही में आईआईटी (IIT), आईआईएम (IIM) जैसे शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए **वैकल्पिक एवं गोपनीय मादक द्रव्य परीक्षण** की व्यवस्था शुरू की है।

स्वैच्छिक मादक द्रव्य जाँच पहल

- **उच्च शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय)** ने केंद्र प्रायोजित उच्च शिक्षण संस्थानों से नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्वेच्छा से मूत्र द्वारा मादक द्रव्य जाँच कराने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है।
- इस व्यवस्था को 2026–27 **शैक्षणिक सत्र से चरणबद्ध तरीके से आईआईटी, आईआईएम तथा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय** में लागू किया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में मादक पदार्थों की मांग कम करने तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने की भारत सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

पहल की प्रमुख विशेषताएँ

- **स्वैच्छिक एवं गोपनीय**: मूत्र द्वारा मादक द्रव्य जाँच अनिवार्य नहीं है, बल्कि विद्यार्थी अपनी इच्छा से यह परीक्षण करा सकते हैं।
- परीक्षण में **एम्फेटामिन, कोकीन, मारिजुआना (भांग/कैनाबिस), बेंज़ोडायज़ेपीन तथा फेनसाइक्लिडीन** (PCP) जैसे पदार्थों की जाँच की जाएगी।
- जाँच रिपोर्ट निर्धारित विद्यार्थी कल्याण समितियों को सीलबंद गोपनीय लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
- परिणाम गोपनीय एवं गुमनाम रखे जाएंगे तथा उनका उपयोग केवल परामर्श एवं छात्र कल्याण सहायता के लिए किया जाएगा।
- इसका प्रवेश प्रक्रिया या शैक्षणिक मूल्यांकन से कोई संबंध नहीं होगा।
- **चरणबद्ध कार्यान्वयन**
  - वर्ष 2029 तक **लगभग** 170 **केंद्रीय वित्तपोषित** उच्च शिक्षण संस्थानों को इस पहल के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है।
  - 2026–27: आईआईटी, आईआईएम तथा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय।
  - 2027–28: 32 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), 8 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER), 25 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), 3 योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (SPA) तथा 4 केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थान।
  - 2028–29: 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा 4 मानित विश्वविद्यालय।
  - संस्थानों के परामर्श में मुख्य रूप से गोपनीयता एवं परामर्श पर बल दिया गया है तथा स्पष्ट किया गया है कि परीक्षण के परिणामों का प्रवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पहल का महत्त्व

- **जन स्वास्थ्य आधारित दृष्टिकोण**: यह योजना दंडात्मक व्यवस्था से हटकर शीघ्र पहचान, उपचार एवं पुनर्वास पर बल देती है, जो आधुनिक जन स्वास्थ्य पद्धति के अनुरूप है।
- **प्रारंभिक हस्तक्षेप**: जाँच के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों की समय रहते पहचान की जा सकती है जिन्हें मनोवैज्ञानिक या चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता हो, इससे लत गंभीर होने से पहले उपचार संभव होगा।
- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण**: यह कार्यक्रम सरकार द्वारा प्रस्तावित मादक पदार्थों के उपयोग पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण को अद्यतन आँकड़े उपलब्ध कराने में सहायता करेगा, जिससे बेहतर नीतियाँ बनाई जा सकेंगी।
- **परिसर का समग्र कल्याण**: नशामुक्त परिसर की दिशा में यह पहल विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, शैक्षणिक सफलता, परिसर की सुरक्षा तथा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकती है।

मादक पदार्थों की समस्या के प्रमुख कारण

- **रणनीतिक स्थिति**: भारत का **गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल** के निकट स्थित होना इसे सीमा-पार मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।
- **संगठित अपराध**: मादक पदार्थों की तस्करी संगठित अपराध, धन शोधन तथा नार्को-आतंकवाद को बढ़ावा देती है।
- **तस्करी के बदलते तरीके**: समुद्री मार्गों, वाणिज्यिक मालवाहक परिवहन, एन्क्रिप्टेड संचार तथा आधुनिक तकनीक का बढ़ता उपयोग।

संबंधित सरकारी पहलें

- **काशी घोषणा** (2025): युवाओं के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान के लिए पाँच वर्षीय कार्य-योजना प्रदान करती है।
- **नशा मुक्त भारत अभियान** (NMBA): देशव्यापी जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता फैलाता है।

- **विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान**: यह सरकार के व्यापक नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है।
- **मादक पदार्थों की मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना** (NAPDDR): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित यह योजना नशामुक्ति केंद्रों, निवारक शिक्षा, उपचार, पुनर्वास, कौशल विकास तथा समाज में पुनर्स्थापन को समर्थन देती है।
- **स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम**, 1985 (NDPS Act): अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम, स्वापक औषधियों एवं मन:प्रभावी पदार्थों के नियंत्रण तथा संबंधित अपराधों के दंड हेतु विधिक ढाँचा प्रदान करता है।
- **कानून प्रवर्तन**: मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल (ANTFs), संयुक्त समन्वय समिति (JCC) तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)।

चिंताएँ एवं चुनौतियाँ

- **गोपनीयता एवं निजता**: संवेदनशील स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के दुरुपयोग एवं सामाजिक कलंक से बचने के लिए पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी।
- **सूचित सहमति**: विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि परीक्षण पूर्णतः स्वैच्छिक है और उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा।
- **कलंकित होने का जोखिम**: गोपनीय परीक्षण के बावजूद यदि परामर्श व्यवस्था पर्याप्त न हो या गोपनीयता भंग हो जाए तो विद्यार्थियों में भय एवं सामाजिक कलंक की भावना उत्पन्न हो सकती है।
- **संस्थागत क्षमता**: उच्च शिक्षण संस्थानों को पर्याप्त प्रशिक्षित परामर्शदाता, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, मानक संचालन प्रक्रियाएँ तथा प्रभावी डेटा संरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- **नैतिक पक्ष**: चिकित्सीय नैतिकता के अनुसार स्वायत्तता का सम्मान, स्वास्थ्य अभिलेखों की गोपनीयता, भेदभावरहित व्यवहार तथा सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

आगे की राह

- परिसरों में मानसिक स्वास्थ्य एवं नशा मुक्ति परामर्श की नि:शुल्क उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- प्रभावी डेटा गोपनीयता एवं निजता संरक्षण व्यवस्था विकसित की जाए।
- अभिभावकों, शिक्षकों एवं सहपाठियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
- उच्च शिक्षा में जीवन कौशल शिक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए।
- कार्यक्रम की प्रभावशीलता एवं संभावित दुष्परिणामों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा सामुदायिक संगठनों को साथ लेकर बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाया जाए।

स्रोत: TH

सरकारी विद्यालयों का बंद होना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में **नीति आयोग** की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले एक दशक में लगभग 94,000 सरकारी विद्यालय बंद कर दिए गए, अर्थात् औसतन प्रतिदिन 25 विद्यालय बंद हुए। इसके परिणामस्वरूप सरकारी विद्यालयों में नामांकन में 2.26 करोड़ की कमी दर्ज की गई।

सरकारी विद्यालयों का बंद होना

- सरकारी विद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा अनेक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा का प्रमुख माध्यम हैं।
- शिक्षा **समवर्ती सूची** का विषय है, किंतु केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि **शिक्षा का अधिकार अधिनियम**, 2009 (RTE Act, 2009) एक केंद्रीय कानून है, जो प्रत्येक बच्चे के लिए पड़ोस में विद्यालय (Neighbourhood School) उपलब्ध कराना अनिवार्य बनाता है।
- सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की हिस्सेदारी 2005 **में** 71% **से घटकर** 2024–25 **में** 49.24% **रह गई** है, जो सार्वजनिक शिक्षा से निजी शिक्षा की ओर बड़े बदलाव को दर्शाती है।

विद्यालयों के बंद होने का परिमाण

- विभिन्न राज्य सरकारों ने विद्यालय युक्तिकरण (Rationalisation), समेकन (Consolidation) तथा विद्यालय समूह के विकास की नीति के अंतर्गत हजारों सरकारी विद्यालयों को बंद या विलय कर दिया है।
- इन उपायों का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है तथा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप बताए जाते हैं।
- विद्यालयों के युक्तिकरण के कारण विशेषकर गरीब एवं ग्रामीण बच्चों के लिए पड़ोस के विद्यालयों तक पहुँच में उल्लेखनीय कमी आई है।
- **उत्तर प्रदेश**, मध्य प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं।

- **मध्य प्रदेश** में 7.37 लाख से अधिक बच्चों का विद्यालयी अभिलेख उपलब्ध नहीं है, 11.38 लाख बच्चे विद्यालय छोड़ने के जोखिम में हैं तथा हजारों सरकारी विद्यालयों में अत्यंत कम या शून्य नामांकन है।
- **जम्मू-कश्मीर** में विद्यालयों के विलय के कारण बच्चों को 4–6 किलोमीटर की दूरी तय करके विद्यालय जाना पड़ रहा है, जिससे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के पड़ोस के विद्यालय के सिद्धांत का ह्रास हुआ है तथा शिक्षा में पहुँच और समानता को लेकर प्रश्न खड़े हुए हैं।
- **राष्ट्रीय** UDISE+ **आँकड़ों के अनुसार** सरकारी विद्यालयों की संख्या 2014–15 में 11.07 लाख से घटकर 2023–24 में 10.17 लाख रह गई है, जबकि निजी विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है।

सरकारी विद्यालयों के बंद होने के प्रमुख कारण

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति**, 2020 **के अंतर्गत संसाधनों का एकीकरण**: अनेक राज्य सरकारें कम नामांकन वाले विद्यालयों का विलय विद्यालय परिसरों में कर रही हैं ताकि भवन, शिक्षक एवं अन्य संसाधनों का साझा उपयोग किया जा सके।
- **निजी विद्यालयों की ओर झुकाव**: खराब आधारभूत संरचना, शिक्षकों की अनुपस्थिति, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ तथा अंग्रेज़ी माध्यम की बढ़ती मांग के कारण अभिभावक निजी विद्यालयों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- **शिक्षकों की कमी**: सरकारें शिक्षकों के रिक्त पद भरने के बजाय कम नामांकन वाले, विशेषकर एकल शिक्षक वाले विद्यालयों का विलय या बंद करना अधिक उपयुक्त मान रही हैं।
- **सुशासन संबंधी समस्याएँ**: घटता नामांकन शिक्षा की मांग में कमी के बजाय प्रशासनिक उपेक्षा तथा विद्यालयों की निम्न गुणवत्ता का परिणाम है।

प्रभाव

- **शिक्षा के अधिकार** (RTE) **का कमजोर होना**: विद्यालयों के विलय से विद्यालय तक पहुँचने की दूरी बढ़ जाती है, जो पड़ोस के विद्यालय की अवधारणा का उल्लंघन है।
- **बालिकाओं पर अधिक प्रभाव**: विद्यालय की दूरी बढ़ने से सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, विद्यालय छोड़ने की संभावना तथा कम आयु में विवाह का जोखिम बढ़ जाता है।
- **वंचित समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव**: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को परिवहन एवं निजी विद्यालयों तक पहुँच के अभाव में शिक्षा प्राप्त करने में अधिक कठिनाई होती है।
- **विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि**: विद्यालयों के बड़े पैमाने पर समेकन के कारण जोखिमग्रस्त तथा पता न चल पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, जिससे विद्यालय छोड़ने की संभावना भी बढ़ गई है।

सुझाव

- **विद्यालयों का समेकन शिक्षा का अधिकार अधिनियम**, 2009 **के अनुरूप** होना चाहिए तथा जहाँ विलय अपरिहार्य हो, वहाँ सुरक्षित एवं निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराया जाए।
- **विद्यालय बंद करने या विलय करने से पहले बालिकाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों, दिव्यांग बच्चों तथा प्रवासी बच्चों पर उसके प्रभाव का समुचित आकलन** किया जाए।
- शिक्षकों के **रिक्त पद शीघ्र भरे जाएँ**, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को सुदृढ़ किया जाए तथा विद्यालयों की आधारभूत संरचना में सुधार कर नामांकन बढ़ाया जाए।
- विद्यालयों के विलय अथवा बंद करने से संबंधित **निर्णयों में विद्यालय प्रबंधन समितियों** (SMCs), **ग्राम पंचायतों तथा अभिभावकों की भागीदारी** सुनिश्चित की जाए।
- **केंद्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप से विद्यालय युक्तिकरण की निगरानी करें** ताकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप होने के साथ-साथ शिक्षा तक समान एवं न्यायसंगत पहुँच भी सुनिश्चित कर सके।

स्रोत: TH

भारत में अभिरक्षा में मृत्यु

सन्दर्भ

- **आंध्र प्रदेश** में कथित **अभिरक्षा में मृत्यु के मामले** में **विशेष जाँच दल** (SIT) ने निलंबित निरीक्षक को हिरासत में लिया।

अभिरक्षा में मृत्यु क्या है?

- **अभिरक्षा में मृत्यु से तात्पर्य** किसी व्यक्ति की पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा के दौरान हुई मृत्यु से है। यह मृत्यु मुकदमे से पहले, पुलिस पूछताछ के दौरान अथवा दोषसिद्धि के बाद भी हो सकती है।
- **मृत्यु का कारण** यातना, लापरवाही, चिकित्सा सहायता से वंचित करना अथवा संदिग्ध परिस्थितियाँ हो सकती हैं।

यह निम्नलिखित संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है—

- **अनुच्छेद** 20(1): किसी व्यक्ति को कानून में निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता।

- **अनुच्छेद** 20(3): आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है; दबाव या प्रताड़ना में दिया गया स्वीकारोक्ति कथन ग्राह्य नहीं होता।
- **अनुच्छेद** 21: जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिसमें पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा भी शामिल है।
- **भारत में अभिरक्षा में मृत्यु**: संसदीय आँकड़ों के अनुसार 2016–17 से 2021–22 के बीच देश में 11,656 अभिरक्षा में मृत्यु के मामले दर्ज किए गए।
- **उत्तर प्रदेश** में सर्वाधिक 2,630 मामले दर्ज हुए, जबकि दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा।
- **राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो** (NCRB) **के अनुसार** वर्ष 2026 के पहले 74 दिनों में देशभर में 170 अभिरक्षा में मृत्यु के मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष के 140 मामलों से अधिक हैं।
- **बिहार** इस सूची में **प्रथम स्थान** पर रहा, इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है।

भारत में अभिरक्षा में मृत्यु के अधिक मामलों के कारण

- **प्रक्रियागत कमियाँ एवं विलंब**: **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** (1997) **मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिरक्षा में होने वाले अत्याचारों की रोकथाम हेतु महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए थे।
- इसके बावजूद न्यायालय प्रायः मजिस्ट्रेटी जाँच पर निर्भर रहते हैं, जिनमें प्रक्रियागत कमियाँ एवं विलंब पाए जाते हैं।
- **कमज़ोर जवाबदेही**: अभिरक्षा में मृत्यु के मामलों की जाँच प्रायः उसी विभाग द्वारा की जाती है, जिस पर आरोप होता है।
- न्यायिक जाँच प्रारंभ होने पर भी वे अक्सर धीमी, अपारदर्शी तथा निष्कर्षहीन रहती हैं।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप**: भारत में पुलिस व्यवस्था पर राजनीतिक दबाव का प्रभाव पड़ता है, जिससे निष्पक्ष कार्रवाई प्रभावित होती है और दोषी अधिकारियों को संरक्षण मिल जाता है।
- **हाशिए पर स्थित एवं संवेदनशील वर्ग**: अधिकांश पीड़ित सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं। विधिक जागरूकता एवं संसाधनों के अभाव में उनके परिवार न्याय प्राप्त नहीं कर पाते।

चिंताएँ

- **विधि के शासन का क्षरण**: यह दर्शाता है कि **अनुच्छेद** 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार तथा **अनुच्छेद** 22 के अंतर्गत मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण जैसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। इससे न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास कमजोर होता है।
- **मानवाधिकार संबंधी छवि**: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद** (UNHRC) तथा **ह्यूमन राइट्स वॉच** जैसी संस्थाओं की रिपोर्टों में भारत की आलोचना होती है। इससे अन्य देशों में मानवाधिकारों के मुद्दों पर भारत की नैतिक विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
- **पुलिस राज्य की धारणा**: अभिरक्षा में मृत्यु के बढ़ते मामले भारत को एक कल्याणकारी लोकतंत्र के बजाय पुलिस राज्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।
- **कमज़ोर आपराधिक न्याय प्रणाली**: यह आधुनिक पुलिस व्यवस्था, न्यायालयिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधारित जाँच प्रणाली को प्रभावी ढंग से अपनाने में कमी को दर्शाता है।

संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय विधिक ढाँचा

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर** (1945): संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का निर्धारण करता है, जिनमें मानवाधिकारों का संवर्धन भी शामिल है।
- **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा** (1948): यातना पर प्रतिबंध लगाती है तथा निर्दोषता की धारणा को मान्यता देती है।
- **नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा**(Covenant) (1966): जीवन के अधिकार की रक्षा करती है तथा यातना पर प्रतिबंध लगाती है।
- **नेल्सन मंडेला नियम** (2015): जिन्हें आधिकारिक रूप से कैदियों के साथ व्यवहार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानक न्यूनतम नियम कहा जाता है, स्वतंत्रता से वंचित सभी व्यक्तियों के मानवीय व्यवहार के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं।
- **यूरोपीय मानवाधिकार अभिसमय** (1950): व्यक्ति की गरिमा तथा न्याय तक पहुँच के अधिकार को मान्यता देता है।

सुधार हेतु सिफारिशें

विधि आयोग की रिपोर्टें

- **69वीं रिपोर्ट** (1977): भारतीय विधि आयोग ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 26A जोड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए स्वीकारोक्ति कथनों को ग्राह्य बनाया जा सके।
- 273**वीं रिपोर्ट**: भारत में यातना-निरोधी कानून बनाने की अनुशंसा की तथा कहा कि वर्तमान कानूनी सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं हैं।

पुलिस सुधार

- **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ** (2006) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, जिनमें पुलिस के अन्वेषण कार्य तथा कानून-व्यवस्था संबंधी कार्यों को अलग करना,पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना करना आदि शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी का अनिवार्य उपयोग

- पूछताछ कक्षों में सीसीटीवी कैमरे, पूछताछ का डिजिटल अभिलेखन तथा बॉडी कैमरों का उपयोग सामान्य व्यवस्था बनाया जाए।

न्यायिक सुधार

- अभिरक्षा में अपराधों के लिए त्वरित न्यायालयों की स्थापना की जाए तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंड सुनिश्चित किया जाए।

आपराधिक कानून सुधार (2023)

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 (जो दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लेती है) गिरफ्तारी में अधिक पारदर्शिता, न्यायालयिक विज्ञान के उपयोग तथा नागरिक-केंद्रित प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है।
- **भारतीय न्याय संहिता** (BNS), 2023 तथा **भारतीय साक्ष्य अधिनियम** (BSA), 2023 दंड एवं साक्ष्य संबंधी कानूनों का आधुनिकीकरण करते हैं तथा स्वीकारोक्ति-आधारित पुलिस व्यवस्था पर निर्भरता कम करते हैं।

निष्कर्ष

- संवैधानिक गारंटियों, कानूनी सुरक्षा उपायों तथा न्यायालयों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अभिरक्षा में यातना एवं दुर्व्यवहार की घटनाएँ अब भी बनी हुई हैं।
- भारत को अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के साथ-साथ एक व्यापक यातना-निरोधी कानून बनाकर, संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ कर तथा जवाबदेही सुनिश्चित करके अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का भी प्रभावी रूप से निर्वहन करना चाहिए।

स्रोत: TH

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में सुधार

सन्दर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने **सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम** की सिफारिशों में पारदर्शिता की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बिना कारण बताए की गई नियुक्तियाँ न्यायपालिका की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं।

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कॉलेजियम ने संवैधानिक न्यायालयों में नियुक्ति अथवा पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की अनुशंसा के कारण प्रकाशित करना बंद कर दिया है, जो पहले कारणयुक्त प्रस्ताव (Reasoned Resolutions) जारी करने की उसकी परंपरा से अलग है।
- न्यायालय ने न्यायिक कार्यवाही के **सीधे प्रसारण** (Live Streaming) **का समर्थन किया**, किंतु साथ ही यह भी चेतावनी दी कि चुनिंदा संपादित वीडियो क्लिपों के दुरुपयोग से न्यायिक कार्यवाही की वास्तविकता विकृत हो सकती है।

न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद** 124: राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद** 217: उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।
- **अनुच्छेद** 222: राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद** 50: राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुदृढ़ होती है।

कॉलेजियम प्रणाली क्या है?

- कॉलेजियम प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण स्वयं न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इसके लिए संविधान या किसी विधि में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
- यह व्यवस्था **सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश प्रकरणों** (Three Judges Cases) के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई, जिनमें न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता स्थापित की गई।
- **सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर**, कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- **उच्च न्यायालय स्तर पर**, कॉलेजियम में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

प्रक्रिया-स्मरण-पत्र (Memorandum of Procedure-MoP) क्या है?

- प्रक्रिया-स्मरण-पत्र (MoP) सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं का दस्तावेज़ है। इसे सरकार एवं न्यायपालिका द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।

यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के तीन प्रसिद्ध निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई—

- **एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ** (1981)
- **सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ** (1993)
- **विशेष संदर्भ संख्या**–1, 1998
- इन निर्णयों के बाद केंद्र सरकार ने 1999 में प्रक्रिया-स्मरण-पत्र तैयार किया।
- **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग** (NJAC) **को वर्ष** 2015 **में** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने के बाद न्यायालय ने न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दक्षता बढ़ाने के लिए प्रक्रिया-स्मरण-पत्र में संशोधन करने का निर्देश दिया।
- हालांकि, कई दौर की चर्चाओं के बावजूद संशोधित प्रक्रिया-स्मरण-पत्र अभी तक अंतिम रूप नहीं ले सका है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- **प्रथम न्यायाधीश प्रकरण** (1981): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की प्रधानता होगी तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय बाध्यकारी नहीं होगी।
- **द्वितीय न्यायाधीश प्रकरण** (1993): सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ सामूहिक रूप से कार्य करते हुए, न्यायिक नियुक्तियों में प्रधानता रखेंगे। इसी निर्णय से कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना हुई।
- **तृतीय न्यायाधीश प्रकरण** (1998): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था को संस्थागत स्वरूप प्राप्त हुआ।

कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का महत्त्व

- **जवाबदेही में वृद्धि**: नियुक्तियों के कारण सार्वजनिक करने से न्यायिक नियुक्तियों की समीक्षा एवं परीक्षण संभव होता है।
- **जनविश्वास में वृद्धि**: पारदर्शी नियुक्तियाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत करती हैं।
- **योग्यता आधारित चयन को बढ़ावा**: इससे यह स्पष्ट होता है कि नियुक्तियाँ क्षमता, सत्यनिष्ठा एवं संवैधानिक मूल्यों के आधार पर की गई हैं।
- **मनमाने निर्णयों की रोकथाम**: कारण दर्ज करने से व्यक्तिपरक एवं अपारदर्शी निर्णयों की संभावना कम होती है।

कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित चुनौतियाँ

- वैधानिक ढाँचे का अभाव।
- पात्रता एवं मूल्यांकन के स्पष्ट एवं संहिताबद्ध मानदंडों का अभाव।
- विचार-विमर्श की सीमित सार्वजनिक जानकारी।
- स्वतंत्र समीक्षा की औपचारिक व्यवस्था का अभाव।
- अपारदर्शिता एवं पक्षपात के आरोप लगातार बने हुए हैं।
- नियुक्तियों में विलंब के कारण न्यायालयों में रिक्त पदों की संख्या बढ़ना।

आगे की राह

- न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नए प्रक्रिया-स्मरण-पत्र (MoP) को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए।
- कॉलेजियम की प्रत्येक अनुशंसा के साथ संक्षिप्त कारण भी प्रकाशित किए जाएँ, जबकि वास्तव में गोपनीय रखी जाने वाली सूचनाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

स्रोत: TH

भारत में वैज्ञानिकों को बनाए रखने की चुनौती

सन्दर्भ

- हाल ही में **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन** (ISRO) **से लगभग** 120 **वैज्ञानिकों के इस्तीफा देने** की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है।

परिचय

- वर्षों से वैज्ञानिकों के इस्तीफे होते रहे हैं, किंतु हाल के समय में बड़ी संख्या में हुए इस्तीफों ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि भारत के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक संगठन क्यों छोड़ रहे हैं।
- ऐसे ही मामले **वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद** (CSIR) की प्रयोगशालाओं तथा अन्य सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान संस्थानों में भी देखे गए हैं।
- **प्रतिभा पलायन** (Brain Drain) से तात्पर्य उच्च शिक्षित एवं अत्यधिक कुशल व्यक्तियों का बेहतर अवसरों की तलाश में एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना है।

- भारत से **इंजीनियर, चिकित्सक, वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ तथा शिक्षाविद्** मुख्यतः **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया** जैसे विकसित देशों की ओर जाते हैं।
- 2015 **से** 2022 **के बीच** लगभग 13 लाख भारतीय देश छोड़कर गए, जिनमें बड़ी संख्या उच्च शिक्षित पेशेवरों की थी।
- प्रमुख गंतव्य: **संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा यूरोप** कुशल भारतीय पेशेवरों के प्रमुख गंतव्य बने हुए हैं।

संभावित कारण

- **कठोर पदानुक्रम**: भारत की अनेक प्रयोगशालाएँ आज भी कठोर पदानुक्रम पर आधारित व्यवस्था में कार्य करती हैं, जो विश्व के अग्रणी वैज्ञानिक संस्थानों की कार्य संस्कृति से भिन्न है।
- **नौकरशाही संस्कृति**: भारत के अनेक वैज्ञानिक सम्मेलनों में शैक्षणिक वातावरण की अपेक्षा नौकरशाही संस्कृति अधिक दिखाई देती है। विशिष्ट वक्ताओं को विशेष पहचान-पत्र एवं विशेष आतिथ्य मिलता है, जबकि विद्यार्थियों एवं कनिष्ठ प्रतिभागियों के साथ अलग श्रेणी जैसा व्यवहार किया जाता है।
- **निजी क्षेत्र की ओर रुझान**: शोधकर्ता निजी अनुसंधान संस्थानों, उभरती गहन-प्रौद्योगिकी (Deep-Tech) कंपनियों, विदेशी विश्वविद्यालयों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वाले संस्थानों की ओर जा रहे हैं, जहाँ प्रशासनिक प्रतिबंधों की तुलना में वैज्ञानिक स्वायत्तता अधिक होती है।
- **अनुसंधान एवं विकास पर कम व्यय**: भारत का अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (GERD) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 0.6% से 0.7% के बीच बना हुआ है, जो वैश्विक औसत तथा चीन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में कम है।
- भारत में निजी क्षेत्र का योगदान केवल लगभग 36% है, जबकि उपर्युक्त देशों में यह 70% से अधिक है।
- **आर्थिक कारण**: विकसित देशों की तुलना में कम वेतन तथा अत्यधिक विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों के लिए सीमित रोजगार अवसर।
- **शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अवसर**:विश्वस्तरीय अनुसंधान अवसंरचना तक सीमित पहुँच,विदेशों में बेहतर प्रशिक्षण, व्यापक अनुभव तथा अधिक कैरियर उन्नति के अवसर एवं उच्च शिक्षा एवं उन्नत उपाधियों के लिए विदेशी संस्थानों को प्राथमिकता।
- **जीवन शैली एवं जीवन की गुणवत्ता**: विदेशों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, आधारभूत संरचना एवं जीवन स्तर उपलब्ध है। साथ ही वैश्विक पहचान एवं अंतरराष्ट्रीय संपर्क स्थापित करने के अधिक अवसर मिलते हैं।

सरकारी पहलें

- **अनुसंधान, विकास एवं नवाचार** (RDI) **योजना**: 1 **लाख करोड़ रुपये के कोष** के साथ स्वीकृत इस योजना का **उद्देश्य निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास तथा गहन-प्रौद्योगिकी नवउद्यमों को प्रोत्साहित** करना है।
- इसके अंतर्गत दीर्घकालिक, कम या शून्य ब्याज वाले ऋण, इक्विटी निवेश तथा अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के माध्यम से एक नए गहन-प्रौद्योगिकी कोषों के कोष (Deep-Tech Fund of Funds) का प्रावधान किया गया है।
- **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन** (ANRF): वर्ष 2023 में स्थापित यह संस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करती है।
- **इसका लक्ष्य** 2023–28 के दौरान 50,000 करोड़ रुपये विभिन्न स्रोतों—ANRF कोष, नवाचार कोष, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान कोष तथा विशेष प्रयोजन कोष—के माध्यम से जुटाना है।
- **राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति**, 2022: इसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक भारत को भू-स्थानिक क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाना है।
- यह नीति भू-स्थानिक आँकड़ों तक पहुँच को उदार बनाते हुए शासन, व्यापार एवं अनुसंधान में उनके उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति**, 2023: यह वर्ष 2020 के अंतरिक्ष सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से गैर-सरकारी संस्थाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूर्ण भागीदारी का अवसर दिया गया।
- इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार, व्यावसायिक अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना है।
- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन**: वर्ष 2023–31 के लिए 6,003.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से क्वांटम प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाया जा सके।
- **बायोE3 नीति**, 2024: यह जैव-विनिर्माण एवं जैव-कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Bio-AI) केंद्रों तथा राष्ट्रीय जैव-निर्माणशाला (Biofoundry) नेटवर्क की स्थापना को प्रोत्साहित करती है, जिससे प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यावसायीकरण को गति मिले।
- **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन** (NSM): वर्ष 2015 में प्रारंभ इस पहल के माध्यम से विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों एवं सरकारी एजेंसियों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जुड़े अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटिंग तंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- **भारत सेमीकंडक्टर मिशन** (ISM): वर्ष 2021 में स्थापित इस मिशन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण का सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

- भारत ने पहले ही छह राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनमें ओडिशा की पहली वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण इकाई भी शामिल है।
- **भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन** (IndiaAI Mission): यह "भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और भारत के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग" की परिकल्पना पर आधारित है।
- मिशन ने अपनी प्रारंभिक 10,000 GPU क्षमता के लक्ष्य को बढ़ाकर 38,000 GPU कर दिया है, जिससे नवउद्यमों, शोधकर्ताओं एवं उद्योगों के लिए सुलभ कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना उपलब्ध हो रही है।
- **अटल नवाचार मिशन** (AIM): विद्यार्थियों, नवउद्यमों एवं उद्यमियों को सहयोग देकर जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है।

निष्कर्ष

- भारत को वैज्ञानिक संस्थानों में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए तथा शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी एवं सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए।
- केवल प्रतिभाओं को वापस लाना पर्याप्त नहीं है; भारत को ऐसा अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना होगा जहाँ उत्कृष्ट प्रतिभाएँ मजबूत संस्थागत व्यवस्था, शैक्षणिक स्वायत्तता, पर्याप्त वित्तपोषण तथा स्वतंत्र विचार-विमर्श के वातावरण में फल-फूल सकें।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

मैथिलीशरण गुप्त जयंती

सन्दर्भ

- महान **भारतीय कवि मैथिलीशरण गुप्त** की जयंती **प्रतिवर्ष 3 अगस्त** को उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है।

परिचय

- **जन्म**: 3 अगस्त, 1886, चिरगाँव, झाँसी, उत्तर प्रदेश।
- **साहित्यिक योगदान**: उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाया तथा आधुनिक हिंदी कविता में ब्रजभाषा के प्रभुत्व को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उनकी रचनाओं में राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय तथा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को प्रमुख स्थान प्राप्त है।
- **प्रमुख कृतियाँ**: साकेत (उर्मिला के दृष्टिकोण से रामायण का महाकाव्य), भारत-भारती, यशोधरा, पंचवटी तथा जयद्रथ वध।
- **उपाधि**: महात्मा गांधी ने उनकी देशभक्ति से ओत-प्रोत कृति भारत-भारती (1912) के लिए उन्हें "राष्ट्रकवि" की उपाधि प्रदान की।
- **सम्मान**: वे 1952 से 1964 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे।
- साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

स्रोत: AIR

आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय

सन्दर्भ

- **2 अगस्त को आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय की 166वीं जयंती मनाई गई।**

परिचय

- उनका **जन्म 2 अगस्त**, 1861 को वर्तमान **बांग्लादेश के खुलना** में हुआ था। वे एक महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद् तथा उद्योगपति के रूप में प्रसिद्ध हुए।
- उन्होंने 1901 में भारत की **पहली औषधि निर्माण कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना** की।
- उन्हें भारत में **आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक** माना जाता है तथा उन्होंने देश में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- उन्होंने भारत में **रसायन विज्ञान का पहला आधुनिक अनुसंधान विद्यालय भी स्थापित** किया।
- वर्ष 1896 **में उन्होंने मरक्यूरस नाइट्राइट की खोज** की, जिसने धातु नाइट्राइटों पर अनुसंधान का नया मार्ग प्रशस्त किया तथा भारत में आधुनिक रासायनिक अनुसंधान की नींव मजबूत की।

स्रोत: AIR

पिंगली वेंकैया

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

पिंगली वेंकैया

- उनका जन्म 2 अगस्त, 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था।
- वे स्वतंत्रता सेनानी तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मूल डिज़ाइन के निर्माता थे, जो आगे चलकर वर्तमान तिरंगे के रूप में विकसित हुआ।

ध्वज की रूपरेखा

- वर्ष 1921 में उन्होंने विजयवाड़ा में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी को राष्ट्रीय ध्वज का एक प्रारूप प्रस्तुत किया।
- इस प्रारूप में भारत के प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन पट्टियाँ तथा आत्मनिर्भरता के प्रतीक चरखे को शामिल किया गया था।
- **वर्ष** 1947 **में इस डिज़ाइन में संशोधन कर अशोक चक्र को जोड़ा गया**, जो न्याय, धर्म तथा प्रगति का प्रतीक है।

सम्मान

- भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किए हैं तथा उनकी स्मृति को सम्मानित करने के लिए तिरंगा उत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

स्रोत: PIB

शिपकी ला दर्रा

चर्चा में क्यों?

- शिपकी ला दर्रे के माध्यम से भारत-चीन सीमा-पार व्यापार छह वर्ष बाद पुनः प्रारंभ हुआ।

शिपकी ला दर्रा

- यह हिमाचल प्रदेश के **किन्नौर जिले में** 3,930 **मीटर की ऊँचाई** पर स्थित एक मोटर योग्य पर्वतीय दर्रा है।
- **सतलुज नदी** भारत में शिपकी ला (3,930 मीटर) के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और **दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहते हुए राज्य के किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन तथा बिलासपुर जिलों से होकर गुजरती** है।
- यह कम-से-कम 15**वीं शताब्दी से भारत और तिब्बत के बीच पारंपरिक व्यापारिक मार्ग** रहा है, जिसने दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत संबंधों को मजबूत किया।
- तिब्बत से **ऊन, घोड़े, बोरेक्स, फ़िरोज़ा तथा सोना** लाया जाता था, जबकि भारत से **अनाज, मसाले, सूखे मेवे, लकड़ी तथा धातु से बनी वस्तुएँ भेजी जाती** थीं।
- इन व्यापारिक आदान-प्रदानों ने स्थानीय आजीविका, हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक परंपराओं को समर्थन दिया।
- 1962 **के भारत-चीन युद्ध** के बाद यह मार्ग बंद कर दिया गया था तथा **डोकलाम गतिरोध और कोविड**-19 **महामारी** के दौरान भी व्यापार बाधित रहा।
- शिपकी ला केवल व्यापारिक मार्ग नहीं था, बल्कि यह **साझी बौद्ध विरासत, पशुपालक जीवन-शैली तथा सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों के सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रतीक** रहा है।

स्रोत: Air

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)

सन्दर्भ

- केंद्र सरकार की प्रमुख रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) ने अपने क्रियान्वयन का एक वर्ष पूरा कर लिया है।

PM-VBRY का परिचय

- यह वर्ष 2025 **में प्रारंभ** की गई एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है, जिसका कार्यान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- **उद्देश्य**: रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगारयोग्यता में वृद्धि करना तथा सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना।
- इस **योजना का लक्ष्य** देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक सार्थक रोजगार सृजित करना है।
- **प्रमुख विशेषताएँ**:
  - पहली बार **रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को** 15,000 **रुपये तक का प्रोत्साहन** दिया जाता है।
  - नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी के लगातार **छह महीने तक कार्यरत रहने के बाद** 3,000 **रुपये तक का प्रोत्साहन** प्रदान किया जाता है।

Source: Ministry of Labour and Employment

स्रोत: DDNews

लेप्टोस्पायरोसिस (Leptospirosis)

चर्चा में क्यों?

- वर्ष 2026 **में केरल में लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों एवं इससे होने वाली मृत्यु में तेज़ वृद्धि** दर्ज की गई है।

लेप्टोस्पायरोसिस

- यह एक **पशुजन्य (ज़ूनोटिक) रोग** है, जो **जीवाणु (बैक्टीरिया) के कारण** होता है तथा **संक्रमित पशुओं के मूत्र अथवा उससे दूषित जल एवं मिट्टी के संपर्क में आने से** मनुष्यों में फैलता है।
- जीवाणु त्वचा पर मौजूद कटे या घाव वाले स्थानों अथवा आँख, नाक और मुँह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं।
- यह रोग 1989 **से केरल में स्थानिक** (Endemic) है और वर्तमान में राज्य में संचारी रोगों से होने वाली सर्वाधिक मृत्यु का कारण बन गया है।
- यह रोग हल्के से लेकर गंभीर तथा कभी-कभी घातक भी हो सकता है। इसके लक्षण इन्फ्लुएंजा, डेंगू तथा अन्य विषाणुजनित रोगों के समान होते हैं।
- हल्के मामलों का उपचार **मुख से दी जाने वाली प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक)** दवाओं से किया जाता है, जबकि गंभीर रोगियों को अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक होता है।

स्रोत: TH

अमेरिका द्वारा बांग्लादेश को पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने का निमंत्रण

सन्दर्भ

- **दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत सर्जियो गोर** ने बांग्लादेश को अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

पैक्स सिलिका का परिचय

- पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य विश्वसनीय साझेदार देशों के बीच सेमिकण्डक्टर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अवसंरचना तथा महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाना है।
- **प्रथम पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन दिसंबर** 2025 **में** आयोजित हुआ था। इसके हस्ताक्षरकर्ता देशों में **ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड तथा संयुक्त अरब अमीरात** शामिल हैं।
- ये सभी देश मिलकर **वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपूर्ति श्रृंखला को संचालित करने वाली प्रमुख कंपनियों एवं निवेशकों का केंद्र** हैं।
- **भारत** इस पहल में **फरवरी** 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शामिल हुआ।
- इसका **उद्देश्य** दबावपूर्ण निर्भरता (Coercive Dependencies) को कम करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए आवश्यक सामग्रियों एवं क्षमताओं की सुरक्षा करना तथा सहभागी देशों को बड़े स्तर पर परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के विकास एवं उपयोग में सक्षम बनाना है।
- **सहभागी देश** वैश्विक प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला के रणनीतिक घटकों, जिनमें सॉफ़्टवेयर अनुप्रयोग एवं प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल हैं, की सुरक्षा के लिए **परस्पर सहयोग** करेंगे।

स्रोत: TH

जंगली जल भैंसा (Wild Water Buffalo)

सन्दर्भ

- छत्तीसगढ़ वन विभाग ने असम से **जंगली जल भैंसों को लाकर पामेड वन्यजीव अभयारण्य में बने बाड़ों** (Enclosures) **में रखने की योजना** बनाई है।

परिचय

- जंगली जल भैंसा (Bubalus arnee), जिसे **एशियाई जंगली भैंसा** भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण-पूर्व एशिया की एक बड़ी गोवंशीय प्रजाति है।

- **वितरण**: यह भारत, **नेपाल**, **भूटान**, **थाईलैंड**, **कंबोडिया तथा म्यांमार** में पाया जाता है।
- **विश्व की** 90% **से अधिक जंगली जल भैंसा आबादी भारत में** पाई जाती है, जिसमें अधिकांश **असम में तथा छोटी आबादी मेघालय, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कोलामार्का वनों में** निवास करती है।
- **खतरे**: इस प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा **पालतू भैंसों के साथ संकरण** (Interbreeding) के कारण आनुवंशिक विविधता का ह्रास है। इसके अतिरिक्त शिकार तथा **पशु रोग** भी इसके लिए गंभीर खतरे हैं।

संरक्षण स्थिति:

- **आईयूसीएन** की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में इसे **इंडेन्जर्ड** (Endangered) **श्रेणी** में रखा गया है।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम**, 1972 **की अनुसूची**–I के अंतर्गत इसे सर्वोच्च स्तर का कानूनी संरक्षण प्राप्त है।

स्रोत: IE

■■■